



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/29/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं.: 46/2025

दिनांक : 25.09.2025

सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन द्वारा फा.सं. II-31(204)सीसीयु/जेपीआर/2023/954-981 दिनांक 18.09.2025 के अंतर्गत जारी ज्ञापन की अनुपालना में अनुकम्पा के आधार पर बहुकार्य कर्मचारीवृन्द (मल्टी टास्किंग स्टाफ) (युप स) के पद पर अनंतिम आधार पर नव नियुक्ति के फलस्वरूप, उक्त श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Lalchand Sharma	12.10.1998	On joining	CGST(Appeal), Jaipur

2. उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 25.09.2025 (अपरान्ह) में कार्यभार मुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें। चूँकि यह आवंटन नव नियुक्ति पर किया जा रहा है, अतः उपरोक्त अधिकारी को कोई स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. आयुक्त, सीजीएसटी अपील जयपुर
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. गार्ड फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड
5. वेब मास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

New Central Revenue Building, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur - 302005 (Raj.)

Phone: 0141-2385155; Fax: 0141-2385130, E-Mail: ccu-cexjpr@nic.in,

Website: www.cgstjaipur.gov.in, Twitter Handle : @CGSTJAIPURZONE